न्यायालय उप त सीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

मु0न0	किस्म मु	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
09/19	धारा 91	018.01.19	11.03.19

उनवान सरकार बनाम मोह सिंह पुत्र सागरराम जाति जाट नि0 ढाणी डाग्यान तह0 बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अ क्रमी अनुपस्थित। मामला संक्षित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तु की है कि ग्राम ढाणी डाग्यान की राजकीय भूमि गै0मु0रास्ता में ख0न0 1008 रकबा 0.40है0 किस्म गै0मु0 स्ता में 0.01 है0 भूमि पर मोहरसिंह पुत्र सागरराम जाति जाट नि0 ढाणी डाग्यान ने अवैध से सरसों की फ ल कर अनाधिकृत अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त ने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/रू त का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के त । अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर वहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये ाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रू ी किये सरसों की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिकमण शुदा भूमि के लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना शे 50/- रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भ अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसुली/कुर्क शुद्धा फसल को निलामी कर शे राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तवि रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से म होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 11.03.19 खु न्यायालय सुनाया गया।

उप तहसीलदार

सिंघाना झुन्झुनु

... ... पृष्ठ ... 4 ...

... 2020 ... 30 ... मांग

... 4.9.250

R. ...

Scanned with CamScanner